

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28092020-222079 CG-DL-E-28092020-222079

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3007] No. 3007] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 28, 2020/आश्विन 6, 1942 NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 28, 2020/ASVINA 6, 1942

> वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (वाणिज्य विभाग) (विदेश व्यापार महानिदेशालय) अधिसूचना नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2020 सं. 34/2015—2020

विषयः आईटीसी (एचएस)–2017, अनुसूची–I (आयात नीति) के अध्याय 71 की आयात नीति शर्त सं. 3 में संशोधन।

का.आ. 3369(अ).—विदेश व्यापार नीति (एफटीपी), 2015—2020 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पिठत विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की सं. 22) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा आईटीसी (एचएस) अनुसूची—I (आयात नीति) के अध्याय 71 की आयात नीति शर्त सं. 3 में संशोधन करती है :—

2. मौजूदा नीतिगत शर्त नं. 3:

"(3) जब तक आभूषण और रत्न ईपीसी द्वारा यथा निर्दिष्ट किम्बेर्ली प्रक्रिया (केपी) प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है तब तक किसी भी प्रकार के खुरदुरा हीरे के आयात की अनुमति नहीं दी जाएगी"

3. संशोधित नीतिगत शर्त सं. 3

"(3) रत्न और आभूषण ईपीसी द्वारा यथा निर्दिष्ट किम्बेर्ली प्रक्रिया (केपी) प्रमाण पत्र के साथ ही खुरदुरे हीरे के आयात की अनुमति दी जाएगी:

बशर्ते कि मामूली किस्म की त्रुटियों के मामले में अर्थात टंकण त्रुटियां या रिकार्ड में दिखाई देने वाली त्रुटियां आदि के मामले में किम्बेर्ली प्रक्रिया (केपी) प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकरण के इलेक्ट्रानिक या दस्तावेज़ी निर्देशों के

4593 GI/2020 (1)

आधार पर रत्न और आभूषण ईपीसी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जो इस अधिसूचना के साथ संलग्न है के अनुसार ऐसे निर्देशों को किम्बेर्ली प्रक्रिया प्रमाण पत्र, जो खुरदरे हीरे के साथ अनुषंगित है, का पृष्ठांकन कर सकते हैं। इलेक्ट्रानिक या दस्तावेजी निर्देशों की विधिवत रूप से पृष्ठांकित की गई प्रतियों के साथ प्रस्तुत करने पर ऐसे पृष्ठांकित की गई किम्बर्ली प्रक्रिया (केपी) प्रमाण पत्र मान्य माना जाएगा।

इसके अलावा बशर्ते कि ऐसे मामलों में जहां आयातित खुरदुरे हीरे सीमाशुल्क के नियंत्रण में हैं और सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा फिर से निर्यात का आदेश दिया गया है तो ऐसे खुरदुरे हीरे के पुनर्निर्यात के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार किम्बेर्ली प्रक्रिया (केपी) प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकरण जिसने आयातित खुरदरे हीरे के साथ किम्बेर्ली (केपी) प्रमाण पत्र जारी किया है, के अनुरोध पर रत्न और आभूषण ईपीसी तकनीकी किम्बेर्ली प्रक्रिया (केपी) प्रमाण पत्र जारी कर सकते हैं।

- 3. यह संशोधित नीतिगत शर्त खुरदरे हीरे के लंबित आयात पर भी लागू होगी।
- 4. इस अधिसूचना का प्रभावः मामूली त्रुटियों अर्थात् टंकण संबंधी त्रुटियां या रिकार्डों में दिखाई देने वाली त्रुटियों के मामले में मान्य किम्बेर्ली प्रक्रिया (केपी) प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकरण द्वारा जारी किम्बेर्ली प्रक्रिया (केपी) प्रमाण पत्रों के पृष्ठांकन को मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार रत्न और आभूषण ईपीसी द्वारा पृष्ठांकित करने के बाद अनुमित दी जा सकती है जो इस अधिसूचना के साथ संलग्न है। इसके अलावा, यदि सीमाशुल्क प्राधिकारी आयातित खुरदरे हीरे के पुनिर्यात का आदेश देते है तो रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (जीजेईपीसी) द्वारा जारी तकनीकी किम्बेर्ली प्रक्रिया प्रमाणपत्र के अध्यधीन इसकी अनुमित दी जा सकती है।

इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[फा.सं. 01 / 89 / 180 / 36 / एएम—11 / पीसी—2ए / भाग—II / ई—1717] अमित यादव, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

अनुलग्नक

मानक संचालन प्रक्रिया

- 1. आईटीसी (एचएस) 2017, अनुसूची—I (आयात नीति) की अध्याय 71 की आयात नीतिगत शर्त सं. 3 में प्रदान की गई किम्बेर्ली प्रक्रिया (केपी) प्रमाणपत्र के पृष्ठाकंन और तकनीकी किम्बेर्ली प्रक्रिया (केपी) प्रमाणपत्र जारी करने संबंधी कार्य लागू करने के लिए नीचे पैरा (iii) में मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) दी गई है।
- 2. एसओपी लघु किस्म की त्रुटियों के कवरेज के लिए हैं अर्थात टंकण संबंधी त्रुटियां या रिकार्डों में दिखाई देने वाली त्रुटियों के लिए हैं। इसमें मूल उल्लघंन वाले अनिधकृत आयात के प्रयास वाले मामले भामिल नहीं होंगे जिनमें सीमा भाुल्क अधिनियम, 1962 के अनुसार कार्रवाई की आवश्यकता हो।
- 3. अनुपालन किए जाने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया :
- क) अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के माध्यम से रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (जीजेईपीसी) निर्यात करने वाले देश के केपी प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकरण को स्थानीय सीमाशुल्क प्राधिकारी को प्रतिलिपि देते हुए त्रुटि को इंगित करते हुए इलेक्ट्रानिक रूप में सूचित करेगा।
- ख) साथ—साथ भारतीय आयातक को सीएचए के माध्यम से / सीधे इसके बारे में सूचित किया जाएगा और विसंगति तथा शिपमेंट की सत्यता की पुष्टि करते हुए आयातक से वचनबद्धता के साथ अनुरोध पत्र लिया जाएगा।
- ग) आयात करने वाली पक्षकार से पत्र सह वचनबद्धता प्राप्त होने तथा केपी प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी से पुष्टि होने पर जीजेईपीसी केपी जारी करने वाले प्राधिकारी से प्रमाणित संशोधित प्रति / नए केपी प्रमाण पत्र मांगेगा।
- घ) केपी प्रमाण पत्र जारी करने वाला प्राधिकारी उनके द्वारा जारी के पी प्रमाण-पत्र की प्रति पर ऐसे अनुदेशों / परिवर्तनों को पृष्ठांकित और उस पर पुनः मुहर लगा सकते हैं अथवा उनकी प्रक्रिया के आधार

पर ईमेल के माध्यम से संशोधन भेज सकते हैं या नए केपी प्रमाण-पत्र जारी कर सकते हैं। ईमेल के जिरए भेजे गए पत्र को जीजेईपीसी द्वारा पृष्ठांकित किया जाएगा।

- ड.) जीजेईपीसी केपी जारी करने वाले प्राधिकारी से प्राप्त केपी प्रमाणपत्रों को परिवर्तनों को इंगित करते हुए पृष्टांकित करेगा और ई—संचित पोर्टल पर इसे अपलोड किया जाएगा।
- च) सीमा शुल्क विभाग को "निर्यात करने वाले देश के प्राधिकृत ईमेल आईडी" से प्राप्त केपी जारी करने वाले प्राधिकरण के मेल / पत्र की प्रति प्रस्तुत की जाएगी और जीजेईपीसी द्वारा विधिवत रूप से पृष्ठांकित किया जाएगा।
- छ) सीमा शुल्क विभाग द्वारा प्राधिकृत पुनःनिर्यात के मामलों में ऐसे पार्सलों को जीजेईपीसी द्वारा जारी किए जाने वाले तकनीकी प्रमाणपत्रों के साथ देश को पुनःनिर्यात किया जा सकता है।

ज) सामान्य टिप्पणियां

- i) केपी आयात / निर्यात प्राधिकारी के साथ पत्र—व्यवहार का माध्यम मेल द्वारा होगा सिवाए ऐसे मामलो के जंहा किसी देश द्वारा पत्र की औपचारिक हार्डकॉपी / दस्तावेजी साक्ष्य मांगा जाए।
- ii) सीएचए / पक्षकार के साथ पत्र—व्यवहार को हार्डकॉपी अथवा ईमेल में अनिवार्यतः रिकार्ड किया जाए।
- iii) ऐसी समस्याओं के मामले में जब किसी परिस्थिति का हल सीमा शुल्क विभाग / जीजेईपीसी अथवा केपी प्राधिकारियों के बीच न निकल पाए तो सीमा शुल्क विभाग विशिष्ट समय—सीमा के अन्दर पक्षकार द्वारा अनुरोध करने पर शिपमेंट के पुनःनिर्यात को अनुमत कर सकता है।
- iv) जीजेईपीसी ऐसे मामलों में तकनीकी प्रमाण-पत्र जारी कर सकता है जब शिपमेंट और केपी प्रमाणपत्रों के विवरण आपस में मेल न खाएं और / अथवा शिपमेंट को मूल्य निर्धारण अथवा पहचान के प्रयोजन हेतु खोला जाता है और इसका पुनःनिर्यात किया जाता है, यदि सीमी शुल्क प्राधिकारी द्वारा आदेश दिया गया है।
- v) शिपमेंट जिन्हें किसी प्रयोजन हेतु खोला नहीं जाता है और जिन्हें निर्यात प्राधिकारी द्वारा जारी वैध केपी प्रमाणपत्र दिया गया है, के पुनःनिर्यात हेतु जीजेईपीसी द्वारा जारी किए जाने वाले किसी तकनीकी प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते कि सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 अथवा आयातित माल के संबंध में कुछ समय के लिए लागू किसी अन्य कानून के तहत कोई अपराध नहीं हो। इसी तरह भारत में वापस आए शिपमेंट जिन्हें आयात करने वाले देश द्वारा खोला नहीं गया है और जिन्हें जीजेईपीसी द्वारा जारी केपी प्रमाण-पत्र दिया गया है, के मामले में तकनीकी प्रमाण-पत्र प्राप्त करना अपेक्षित नहीं है बशर्ते कि सीमा शुल्क अधिनियम 1962 अथवा आयातित माल के संबंध में कुछ समय के लिए लागू किसी अन्य कानून के तहत कोई अपराध नहीं हो।

______ 4. विशिष्ट मामलों में अतिरिक्त दिशानिर्देश निम्नानुसार हैं:

क्रम सं.	मामलों का स्वरूप	अपनाए जाने वाली प्रक्रिया/चरण
1	केपी प्रमाण-पत्र में उल्लिखित एचएस वर्गीकरण और मूल्य निर्धारण पैनल सदस्य की राय में अंतर यदि यह वर्गीकरण डब्ल्यूसीओ के नियमों के अनुरूप साबित होता है।	संशोधन को अनुमत किया जा सकता है यदि आयातक प्रविष्टि बिल के अंतिम आकलन में ऐसे परिवर्तनों को स्वीकृत करता है। केपी प्रमाण–पत्र जारी करने वाले प्राधिकरण से इलेक्ट्रॉनिक अथवा दस्तावेजी रूप में अनुदेश प्राप्त करने के बाद जीजेईपीसी केपी प्रमाण–पत्र में संशोधन को पृष्ठांकित कर सकता है।
2	एक केपी प्रमाण-पत्र के अंतर्गत कम शिपमेंट प्राप्त होना और इसे प्रविष्टि बिल प्राप्त करने से पहले नोटिस की जाती है। बकाया सामान को अन्य केपी प्रमाण-पत्र के अंतर्गत शिप किया जाता है।	यदि दोनों शिपमेंट साथ—साथ से एक ही पत्तन पर सीमा शुल्क विभाग द्वारा जांच हेतु पंहुचते हैं तब जीजेईपीसी केपी प्रमाण—पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी से इलेक्ट्रॉनिक अथवा दस्तावेजी रूप में अनुदेश प्राप्त करने के बाद केपी प्रमाण—पत्र में संशोधन को पृष्ठांकित कर सकता है।
3	बीजक पत्र और केपीसी में उल्लिखित कैरेट और अमरीकी डॉलर के मूल्य में मामूली अंतर होना (उदाहरणार्थ:0.01 सेंट्स के अंतर वाले शिपमेंट को रोक दिया जाना)।	(i) संशोधन पर विचार किया जा सकता है यदि आयात दस्तावेजों में ऐसी त्रुटियां दी गई हैं। (ii) जीजेईपीसी केपी प्रमाण–पत्र को बीजक–पत्र, पैकिंग–सूची और एयरवे बिल के साथ इसका मिलान करने के बाद पृष्टांकित करता है। (iii) यदि कोई गलत आंकड़ा देखा जाता है तो जीजेईपीसी केपीसी जारी करने वाले प्राधिकरण से इलेक्ट्रॉनिक अथवा दस्तावेजी रूप में अनुदेशों को प्राप्त करने के बाद केपीसी में संशोधन को पृष्टांकित कर सकता है।
4	दो केपी प्रमाणपत्रों की अदला—बदली होना तथा भारत के गंतव्य के लिए गलत पैकेज के साथ संलग्न होना।	यदि दोनों ऐसे पार्सल एक ही निर्यात इकाई द्वारा निर्यात किए जाते हैं और एक ही अधिकारी दोनों मूल केपीसी को सत्यापित कर सकता है, तो सीमा शुल्क विभाग केपीसी की अदला—बदली को निर्यात करने वाले देश के केपीसी जारी करने वाले प्राधिकारी से विधिवत बातचीत करके जेजीईपीसी से परामर्श / संस्तुति के आधार पर अनुमत करने पर विचार कर सकता है।
5	प्रविष्टि बिल प्रस्तुत करने के बाद जांच के समय शार्ट–शिपमेंट नोटिस किया जाना।	ऐसे मामलों में जीजेईपीसी केपीसी जारी करने वाले प्राधिकारी से इलेक्ट्रॉनिक या दस्तावेजी रूप से अनुदेश प्राप्त करने के बाद पुनःनिर्यात हेतु, तकनीकी प्रमाण–पत्र जारी कर सकता है यदि ऐसे पुनःनिर्यात को सीमा शुल्क विभाग द्वारा अनुमत किया जाता है।
6	अन्य किसी देश के लिए भेजे गए शिपमेंट की केपीसी के साथ पूरे पार्सल की अदला—बदली होने की वजह से गलत प्राप्ति होना।	ऐसे मामलों के लिए जीजेईपीसी पुनःनिर्यात हेतु तकनीकी प्रमाण–पत्र जारी करेगा जिसे सीमा शुल्क विभाग द्वारा अनुमत किया जाएगा।
7	भारत के लिए भेजे गए शिपमेंट के अंदर गलत केपी प्रमाण–पत्र (किसी अन्य देश को भेजे जाने वाला) भेजा जाना।	(i) सीमा शुल्क विभाग द्वारा अनुमत पुनःनिर्यात हेतु जीजेईपीसी तकनीकी प्रमाण—पत्र जारी करेगा। (ii) निर्यात करने वाले देश के केपीसी प्राधिकारी से प्राप्त पत्र द्वारा समर्थित प्रामाणिक मामलों में ऐसी स्थिति को केपीसी के बिना भारत में पहुंचने वाली खेप की तरह माना जा सकता है और मामले का परिपत्र सं. 53/2003—सीमा शुल्क विभाग दिनांक 23.06.2003 के अनुसार समाधान किया जा सकता है।

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th September, 2020

No. 34/2015-2020

Subject: Amendment in the Import Policy Condition No. 3 of Chapter 71 of ITC (HS)-2017, Schedule- I (Import Policy)

S.O. 3369(E).—In exercise of powers conferred by Section 3 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992) read with Para 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy (FTP) 2015-2020, the Central Government hereby amends the Import Policy Condition No. 3 of Chapter 71 of ITC (HS) 2017, Schedule-I (Import Policy).

2. Existing Policy Condition No. 3:

"(3) No import of rough diamonds shall be permitted unless accompanied by Kimberley Process (KP) Certificate as specified by Gem & Jewellery EPC"

Amended Policy Condition No. 3:

"(3) Import of rough diamonds shall be permitted only if accompanied by Kimberley Process (KP) Certificate as specified by Gem & Jewellery EPC:

Provided that in cases of errors of minor nature i.e. typographical errors or errors apparent on the face of records, the Gem & Jewellery EPC may on the basis of electronic or documentary instructions of the Kimberley Process (KP) Certificate Issuing Authority endorse such instructions to the Kimberley Process (KP) Certificate accompanying the rough diamonds as per the Standard Operating Procedure (SOP) which is annexed to this Notification. Such endorsed Kimberley Process (KP) Certificate shall be treated as valid when produced along with the duly endorsed copies of the electronic or documentary instructions.

Provided further that the Gem & Jewellery EPC may, at the request of the Kimberley Process (KP) Certificate Issuing Authority which has issued the Kimberley Process (KP) Certificate accompanying the imported rough diamonds, issue a Technical Kimberley Process (KP) Certificate, as per the Standard Operating Procedure (SOP), for re-export of such rough diamonds, in cases where the imported rough diamonds have not left Customs control and re-export is ordered by Customs authorities."

- 3. This amended Policy Condition shall also be applicable to pending imports of rough diamonds.
- **4. Effect of this Notification:** Endorsement of Kimberley Process (KP) Certificates issued by valid Kimberley Process (KP) Certificate Issuing Authority in the case of errors of minor nature i.e typographical errors or errors apparent on the face of records can be allowed subject to endorsement by Gem & Jewellery EPC as per the Standard Operating Procedure (SOP) which is annexed to this Notification. Further reexport of imported rough diamonds, if so ordered by Customs Authorities can be allowed subject to the Technical Kimberley Process Certificate issued by the Gem & Jewellery Export Promotion Council (GJEPC).

This issues with the approval of Minister of Commerce & Industry.

[F. No. 01/89/180/36/AM-11/PC-2A/Part-II/e-1717]

AMIT YADAV, Director General of Foreign Trade & Ex-officio Addl. Secy.

Annexure

Standard Operating Procedure

- 1. The Standard Operating Procedure (SOP) as outlined below in para (iii) is to implement the endorsement of the Kimberley Process (KP) Certificate and issuance of a Technical Kimberley Process (KP) Certificate as provided in the Import Policy Condition No. 3 of Chapter 71 of ITC (HS) 2017, Schedule-I (Import Policy).
- 2. The SOP is for coverage of errors of minor nature i.e. typographical errors or errors apparent on the face of records. This will not cover the cases of attempted unauthorized imports involving substantive violations warranting action as per the Customs Act, 1962.

3. Standard Operating Procedure to be followed:

- a. Gem & Jewellery Export Promotion Council (GJEPC) through authorised signatory will inform the KP Certificate Issuing authority electronically of the exporting country indicating the error marking a copy to the local Customs authority.
- b. Simultaneously, Indian importer will be informed through CHA / directly about the same and the request letter with undertaking will be taken from the importer indicating the discrepancy and confirming the veracity of the shipment
- c. Upon receipt of letter cum undertaking from the importing party and confirmation from the KP Certificate issuing authority, GJEPC will ask for certified amendment copy from the KP issuing authority/fresh KP certificate
- d. The KP Certificate issuing authority can endorse such instructions /changes on the copy of KP Certificate issued by them and re-stamp it OR send the amendment in e-mail based on their process or issue a fresh KP certificate. E-mail communication will be endorsed by GJEPC.
- e. GJEPC will endorse the KP Certificates received from KP issuing authority indicating the changes and same to be uploaded on E-Sanchit portal.
- f. Customs will be submitted the copy of mail/communication of the KP issuing authority received from the "authorised e-mail ID of exporting country" and duly endorsed by GJEPC.
- g. In cases of re-export authorized by Customs, such parcels may be re-exported to the country accompanied by Technical Certificates to be issued by GJEPC.

h. General Notes:

- i. The mode of communication with KP Import / Export authority will be by mail communication except in the cases wherein formal hard copy communication/ documentary evidence is desired by any of the countries.
- ii. All communication with CHA / Party must be recorded in hard copy or e mail.
- iii. In case of issues when solution to any situation is not derived between Customs / GJEPC or KP Authorities, Customs may permit re-export of shipment upon request made by the party within specific timelines.
- iv. GJEPC will issue Technical certificate for such cases when the shipment and details on KP Certificates is mismatched and/or shipment is opened for valuation or identification purpose and to be re-exported, if ordered by Customs Authorities.
- v. For re-export of shipments which are not opened for any purpose and supported with valid KP Certificate issued by Export authority, Technical Certificate may not be required to be issued by GJEPC, provided there is no offence subsisting under the Customs Act, 1962 or any other law for the time being in force, in relation to the imported goods. Similarly, in case of shipment returned to India without opening of the same by importing country and supported with KP certificate issued by GJEPC, technical certificate may not be required, provided there is no offence subsisting under the Customs Act, 1962 or any other law for the time being in force, in relation to the imported goods.

4. Additional guidelines on specific instances are as follows:

S.No.	Nature of Instance	Process / Steps to be followed
1	Difference in HS Classification mentioned on the KP Certificate and opinion of the valuation panel member, if the same classification is proved to be conforming to WCO rules	The amendment can be allowed if the importer accepts such change in the final assessment of Bill of Entry. GJEPC after receiving instruction from KP Certificate issuing authority in electronic or documentary form may endorse the amendment in the KP Certificate.
2	Short shipment received under one KP Certificate and noticed before filing of Bill of Entry. Balance goods shipped under another KPC.	If both the shipments arrive at the same port for examination by the Customs parallely, then GJEPC may endorse amendment in KP Certificate after obtaining instructions from KP Certificate issuing authority in electronic or documentary form.
3	Marginal difference in the Carat & US\$ value mentioned on invoice & KPC (eg. Shipment for difference of 0.01 cents held up).	 i. Amendment may be considered if import documents support such errors. ii. GJEPC endorses the KP Certificate after tallying the same with invoice, packing list and airway bill. iii. In case any incorrect data is noticed, GJEPC can endorse amendment in KPC after
		obtaining instructions from KPC issuing authority in electronic or documentary form.
4	Switching of two KP Certificates and attached to the wrong packages destined for India	If both such parcels are exported by the same exporting entity and are at the same port in India and the same officer can verify both the original KPCs, then Customs may consider allowing exchange of KPC on the basis of consultation/recommendation from GJEPC with due communication from the KPC issuing authority of exporting country.
5	Short shipment noticed at the time of examination after filing of Bill of Entry	In such cases, GJEPC after receiving instructions from KPC issuing authority in electronic or documentary form may issue Technical Certificate for re-export if such re-export is allowed by Customs.
6	Wrong shipment meant for another country received due to switching of whole parcels accompanies by KPC	For such cases, GJEPC will issue Technical certificate for re-export, to be allowed by Customs
7	Wrong KP Certificate (meant for another country) sent with the shipment or placed inside the shipment meant for India	 i. For re-export allowed by Customs, GJEPC will issue Technical Certificate ii. In genuine cases supported by communication from KPC Authority of exporting country, such situation can be treated akin to consignment arriving in India without KPC and matter can be dealt with as per Circular No. 53/2003-Customs dated 23.06.2003